



# मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ - 250001 (उत्तर प्रदेश)  
वेबसाइट: [www.mdameerut.org.in](http://www.mdameerut.org.in)



श्री अखिलेश यादव जी  
सामुदायिक सुलभांगी उत्तर प्रदेश



पंजीकरण दिनांक  
18-08-2015  
से  
18-09-2015  
तक

## गंगानगर पॉकेट जे

में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग

4 मंजिला फ्लैट्स

तथा

### डॉ राम मनोहर लोहियानगर

योजना के “जहाँ हैं, जैसा है  
के आधार पर श्रेणी के भुख्यांड के  
लाटरी पद्धति से आबंदन हेतु  
पंजीकरण पुस्तिका



# मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ-25000 (उत्तर प्रदेश)

## विशेष आकर्षण-

- योजनायें राष्ट्रीय राज्य मार्ग-119, (मेरठ-विजनौर रोड) तथा राष्ट्रीय राज्य मार्ग 235 (मेरठ-बुलन्दशहर) पर स्थित।
- योजना का लाभ दिनांक दिनांक 18-08-2015 से 18-09-2015 तक।
- आवंटन प्रक्रिया का अत्यन्त सरलीकरण।

## स्थल सुविधाएँ-

- भव्य गेट, सुरक्षित बाउन्डी वाल य परिसर के तीनों ओर सड़क की सुविधा, आस-पास हरित क्षेत्र
- सड़क, सीवर, डेनेज, विद्युत एवं जलापूर्ति आदि सुविधाओं से युक्त
- पेड-पौधों से सुसज्जित हरियाली की सुविधायुक्त
- सुव्यवस्थित वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण युक्त



गंगानगर पॉकेट जे में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग श्रेणी के 4 मजिला पलैटस् तथा  
डा० राम मनोहर लोहियानगर योजना के दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के मूख्यण्ड

## मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ - 250003 (उ.प्र.)

**गंगानगर पॉकेट जे में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग श्रेणी के 4 मजिला पलैटस् तथा  
डा० राम मनोहर लोहियानगर योजना के “जहाँ है, जैसा है” के आधार पर दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के मूख्यण्ड  
के लाटरी पद्धति से आवंटन हेतु पंजीकरण पुरितका**

1.	योजना का नाम	—
	गंगा नगर आवासीय योजना	
	डा० राम मनोहर लोहियानगर	
2.	योजना का कोड	—
	गंगानगर योजना	— 07
	डा० राम मनोहर लोहियानगर	— 08
3.	पॉकेट	—
	गंगानगर पॉकेट जे	
	डा० राम मनोहर लोहियानगर पॉकेट “एम”	

**प्राह्यता (पात्रता) —**

4.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

4.20 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक व्यवस्थक अर्थात् आवेदक की आय न्यूनतम् 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

4.30 आवेदक का उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवस्थक बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपन अन्य नवन / मूख्यण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अनिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन / मूख्यण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इम्फून्ट ट्रस्ट, किसी व्यापारी निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन / मूख्यण्ड नहीं होने चाहिये।

- 4.40 जिन व्यक्तियों ने मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहले से चंडीकरण कराया हुआ है तथा उसी आवटन नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करावाल आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगों के समावेश ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में करना होगा।
- 4.50 यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के अधित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवटन हो जाता है तो उस व्यक्ति को, आवंटन सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को छोड़कर हीष सम्पत्तियों में जम्मा की गयी घनराशि दिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी।
- 4.60 दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवन / मूख्यण्ड के आवटन हेतु इच्छुक आवेदकों (जिनके नाम से आवेदन किया जा रहा है) के परिवार की वार्षिक आय सीमा 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) तथा अल्प आय वर्ग श्रेणी के भवन / मूख्यण्ड के आवटन हेतु (जिनके नाम से आवेदन किया जा रहा है) के परिवार की वार्षिक आय सीमा 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) से अधिक तथा 2,00,000/- (दो लाख) तक होनी चाहिये, का साम अधिकारी (तहसील) द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कराना होगा जिन आवेदकों द्वारा साम अधिकारी द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जायेगा उनका पंजीकरण आवेदन पत्र लाटरी त्रु में सम्भिलित नहीं किया जायेगा।

**5.00 आवेदन कैसे करें—**

5.10 अवेदन—पत्र कोलाहल निर्धारित प्रारूप—पत्र जो विवरण पुस्तिका में संलग्न है, पर व लघ्ये 10/- का शपथ पत्र के साथ में ही लिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को भवन / पतेट / मूख्यण्ड के



# मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ-25000 (उत्तर प्रदेश)

- अनुमति नमूल का 10 प्रतिशत का दैक ड्राफ्ट तथा अधिकृत बर्च (अनुमूलित जारी, जनन्युवित जनन्यापि, अन्य प्रिछड़ा वर्ग, स्वरूपता संग्राम रोपानी, भूतपूर्व सेनिक व उनके आधिकृत व समाज के विकलाग) के आवेदकों को पलेट के अनुमति नमूल का 5 प्रतिशत पंजीकरण घनराशि का दैक ड्राफ्ट / दैकर्स दैक, अध्या. पै-आईए जो कि तयारकार, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम देय हो अथवा पंजीकरण घनराशि की जमा की रहीद संलग्न न होने पर, आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा। मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट [www.mdameerut.org.in](http://www.mdameerut.org.in) से प्राप्त की गयी विवरण पुस्तिका व पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों को, पंजीकरण आवेदन पत्र उपयोग में लाने पर रुपये 200/- - प्रति विकरण पुस्तिका व निर्धारित पंजीकरण घनराशि दैक की विज्ञापित शाखाओं में पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ निर्धारित अवधि में जान करनी होगी।
- 5.20 आवेदकों को अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर अपेक्षित पंजीकरण घनराशि सहित विज्ञापित दैक में जमा करना होगा जिस दैक से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- 5.30 आवेदन एक से अधिक अध्या संयुक्त नामी से नहीं किया जा सकता है, किन्तु पति-पत्नी हारा संयुक्त नाम से आवेदन करने की हृष्ट होगी। पंजीकरण घनराशि का विकरण संलग्नक एक में उत्तिष्ठित है। आवेदन पत्र सहित विवरण पुस्तिकार्य रुपये 200/- के मुद्रातात्त्व पर एच.डी. एफ.सी. दैक: (1) 171/1, सुर्योष्य प्लाट, गढ़ रोड, मेरठ मो. नो 09358214343 (2) 381ए वैस्टर्न कॉर्पोरेशन रोड, मेरठ (3) शील पैलेस दिल्ली रोड, मेरठ (4) 6, रोयल प्लाजा, रुडबी रोड, पल्लवपुरम, मेरठ (5) जी-एफ-ओ एण्ड एच नई दिल्ली-11, गौतमीपुरम विलिंग बारह खम्बा रोड नई दिल्ली-110001 (6) डी-118, सेक्टर 26, नोएडा (7) आरओडीओसी सेक्टर, राजनगर, गाजियाबाद-201002 व मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलन्द शहर, सायुक्त, मोदीनगर, मुशायाबाद, लखनऊ, बागपत शामनी व बड़ी की अधिकृत शाखाओं से विक्रय की जावेगी जिनके सम्बन्ध में सात्ता प्रबन्धक, मेरठ श्री भूमेश कुमार, मो. नो 09358214343 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- इनाहाबाद दैक: (1) मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर शाखा, मेरठ (0121-2647595) (2) सेवायाँ मुख्य शाखा, मेरठ (121-4760447) (3) नोएडा सिथर सेक्टर 10 की शाखा (0120-2533831) (4) गाजियाबाद सिथर नवबुग मार्केट शाखा (0120-2797759) (5) डी-3

जारीका निकेतन, आनन्द विहार, नई दिल्ली शाखा (0120-22161418) (6) 17, पालियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली शाखा (011-23743894)।

आई.डी.बी.आई. दैक: (1) नील कमल विलिंग, एपेस कॉर्पिंग, शिवाजी रोड, मेरठ, फोन 0121-2651325, 7351082777, 9012096096 (2) प्रधम तल, 126/7, आरटीओ, रोड, निकट सोन्टरल मार्केट, शास्त्रीनगर मेरठ, फोन 0121-4019728 (3) सत्र गुरु प्लाजा, 43 पंजाबी पुरा, दिल्ली रोड, मेरठ, फोन 0121-4008804 (4) 5/2, भीसारंग, दिल्ली रोड हायुक, गाजियाबाद, फोन: 0122-2306587 / 88/89/90 (5) अपीजिट जी.पी. जनता इन्टर कालेज, निकट मल्का पार्क, सिविल लाईन्स काले आम, बुलन्दशहर, फोन 05732-281732 / 281733 (6) अपीजिट गोदीनगर इन्टर कलेज, जी.टी. रोड, मोदीनगर, गाजियाबाद, फोन 01232-234187 (7) 203 / 48, सदर बाजार, नियर हिस्ट्रीट कॉर्ट मुजफ्फरनगर, फोन: 0131-2433386 (8) ऐवर्ड विलिंग, नियर शक्ति गॉप, सिविल लाइन, विजनीर, फोन: 01342-260353 (9) महालक्ष्मी प्लाजा दीपी-2, सेक्टर-3, आगर भवन के पास, वैशाली, गाजियाबाद, फोन: 0120-4118195 (10) 1, लौहियानगर, गाजियाबाद, फोन 0120-2700355 (11) 2/3, अमर एनक्लेव ईस्ट माडल टाउन, जी.टी. रोड, गाजियाबाद, फोन 0120-2700630 (12) ओल्ड मोनिका विहेटर, मेरठ रोड, बागपत, फोन: 121-2222749 (13) सी-78, दुर्दिग घासांगा, आर. डी. शी, राजनगर, गाजियाबाद, फोन: 0120-2755409

आई.सी.आई.सी.आई. दैक: (1) राजसोल, 4 सिविल लाईन्स बाउची-रोड, निकट शी.एस.एन.एल. टैलीफोन एकसेवे, मेरठ (2) शी.शी.एस. कॉम्प्लैक्स, समराट एन्सेंट, गढ़ रोड, मेरठ (3) 812, अपीजिट रामी मिल, दिल्ली रोड, मेरठ (4) सी-2, तिलपति गार्डन, मायना रोड, मेरठ (5) 43, सिवपुरी, अपीजिट इवेस हॉस्पिटल, हायुक रोड, मेरठ (6) शी-113, पल्लवपुरम, फेंस-1, मेरठ (7) 90, बेगम दिल्ली रोड, मेरठ (8) जॉकिस ब्लॉक, ए-134 व शी-136, प्रधम तल, आवास विकास कॉम्प्लैक्स, बागपत रोड मेरठ (9) 216, कॉम्पैक्स नं 10, जैन नगर, मेरठ (10) बुजाकरमगर, विजनीर, मदाना, बुलन्दशहर, हायुक, मोदीनगर, मुशायाबाद, बागपत, शामली, बड़ीत (10) आर-1 / 88, राजनगर, गाजियाबाद (11) के-1 शीनियर माल, सेक्टर-18, नोएडा (12) एफ-11, ग्रीत विहार, नई दिल्ली-110092 (13) शी-130, विवेक विहार फेंस-1, दिल्ली (14) एस.सी.ओ 18 व 19 हुडा शीपिंग सेन्टर, सेक्टर 14 मार्केट कॉम्प्लैक्स, गुडगांव-122001 की अधिकृत शाखाओं से

## गंगानगर पॉकेट जे में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग श्रेणी के 4 मजिला पलेट्स तथा डा० राम मनोहर लोहियानगर योजना के दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड

दिक्षिय की जायेगी। जिनके सम्बन्ध में प्रबन्धक मंस्ट श्री आवेद चौधरी (फोन : 0120-4016437) से जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदन पत्र पंजीकरण घनराशि सहीत उपरोक्त बैंक की उपरोक्त शाखाओं में जमा किये जायेंगे।

### 6.00 आवटन प्रक्रिया-

- 6.10 योजना के द्वारा के समय उपरिकृत होने के द्वारुक आवेदकों की उपस्थिति में मैनुअल प्रक्रिया द्वारा द्वारा निकालकर पलेट / भूखण्ड का आवेदन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को जल्द से नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राप्तिकरण द्वारा स्थीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी पलेट / भूखण्ड विशेष हेतु भी क्लेम स्थीकार नहीं होगा।
- 6.20 प्राप्तिकरण किसी ऐसी घनराशि पर आव्याज के लिये उत्तर दादी नहीं होगा जो बैंक अध्यय जमा कर्ता भी त्रुटि से प्राप्तिकरण के बाते में जमा नहीं हुई हो।
- 6.30 यदि विशेष व्यक्ति द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र भरते समय तथ्यों को घुसाया जाता है तो उसका पंजीकरण आवेदन पत्र / आवटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और जमा की गयी समस्त घनराशि जब कर ली जायेगी।
- 6.40 प्राप्तिकरण द्वारा आवेदित पलेट में निहित मूलि का पटटा विलेख तथा स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय दिलेख आवंटी द्वारा कराना अनिवार्य होगा। डा० राम मनोहर लोहियानगर योजना के भूखण्डों का आवेटन प्रीहोल्ड आधार पर है जिसका पूर्ण भुगतान उपरान्त विक्रय विलेख आवंटी द्वारा कराना अनिवार्य होगा।
- 6.50 आवेटन स्थीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद / आपत्ति स्थीकार नहीं की जायेगी।
- 6.60 आवेदक द्वारा विशेष कारणवश सम्पत्ति के लाटरी द्वारा से आवेटन पत्रात् आवेटन घनराशि जमा करने से पूर्ण आवेटन स्थीकार न कर जाना घनराशि की मौग किये जाने पर जमा आवेदन घनराशि 20 प्रतिशत कटीती के उपरान्त आपस की जायेगी।
- 6.70 आवंटी को पलेट / भूखण्ड के आवासीय प्रयोग की अनुमति होगी अन्य किसी उपयोग की नहीं। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त, यदि आवंटी द्वारा पलेट का अन्य प्रयोगन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवेटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्रवाई की जायेगी।
- 6.80 प्रत्येक आवेदनकार्ता को प्राप्तिकरण पलेट / भूखण्ड देने के लिये बाध्य नहीं है। यदि किसी

आवेदक को वाइट पलेट / भूखण्ड नहीं मिल पाता है, तो वह इसके लिये प्राप्तिकरण से किसी प्रकार का मुआवजा / क्षतिपूत्र प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

### 7.00 आवरण कोटा-

शासन द्वारा कर्त्तव्य में आव्याज निर्माणासार निर्धारित किया गया है:-

क्र०सं. वर्ग	प्रतिशत	कोटा
1. अनुसूचित जाति	21	02
2. अनुसूचित जन जाति	02	03
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	27	04
4. विशेषज्ञ,	05	08
विधान परिषद सदस्य, राजसद स्वास्थ्यकार संघान सेनानी		07
5. सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवकों के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो		05
रक्षा कर्मी		06
6. उ0090 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राप्तिकरण जल संरक्षण, नगर नहायालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी		09
उ0090 विकास प्राप्तिकरण कर्मचारी	02	11
उ0090 नगर निगम कर्मचारी		12
उ0090 जल संरक्षण कर्मचारी		13
उ0090 आवास एवं विकास परिषद		03
7. भूपूर्व टैनिक व उनके आक्रिति		14
7.10 विकलांग आवेदकों को प्रदेश भ्रेणी के लाटे में 3 प्रतिशत विकलांग भ्रेणी के भावन / पलेट्स के लाटरी द्वारा में सर्व प्रथम 01 प्रतिशत आव्याज प्राप्तिकरण के आधार दृष्टिवापित (Visually Impaired) आवेदकों को प्रदान किया जायेगा। यदि विकलांग कोटे में एक मात्र एक ही पलेट / भूखण्ड आता है तो वह प्राप्तिकरण के आवेदक की व्यवस्थाकरण लाटरी की मात्रम से आवंटित किया		



# मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ-25000 (उत्तर प्रदेश)

- जायेगा तथा समाज के बारें नागरिकों को प्रत्येक शेषी के कोटे में 10 प्रतिशत होरिजनेट्स आखण की सुविधा दी जायेगी। अत आवेदकों को विकलान होने का प्रमाण पत्र तथा विशिष्ट नागरिकों को आगे प्रमाण पत्र भी संलग्न करना तथा आवेदन पत्र में आशाक बोटा भरना आवश्यक है। सामान्य शेषी के आवेदक कोटा कोटा 15 मरे।
- 7.20 यदि आवेदक एक से अधिक आखण शेषी में आता है तो कृपया वह रवयन निश्चित कर लें कि वे कोन सी एक आखण शेषी का ताम पाना चाहते हैं, उस आविष्ट शेषी का ही उल्लेख करें। यदि आविष्ट शेषी के आवेदक समृच्छित संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो आवंटन समान्य शेषी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।
- 7.30 आवेदक, जिस आखण शेषी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप संक्षम प्राप्तिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वी सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 8. भुगतान प्रक्रिया-**
- विज्ञापित योजनाओं के भवनों/फ्लैट्स / भूखण्डों की शेषीयावर उपलब्धता, अनुमतित मूल्य, आवेदन राशि का विवरण पुस्तिका में संलग्न तालिका में दिया गया है। भवन/फ्लैट्स / भूखण्डों का आवंटन योजना के अन्तर्गत लाठी पद्धति से किया जायेगा। आवेदकों को आवंटन के पश्चात आवंटन घनराशि के रूप में 10 प्रतिशत घनराशि, आवंटन पत्र जारी दिनांक से एक माह के अन्दर तथा रीषे घनराशि विवरण तालिका के अनुसार जमा करनी होती है। विलम्ब से आवंटन घनराशि किए रहे समय से जमा न करने पर दुर्बल आय वर्ग शेषी के लिये 16 प्रतिशत वार्षिक दर तथा अल्प आय वर्ग शेषी के लिये 18 प्रतिशत वार्षिक पर से अतिरिक्त चारोंवाले दण्ड व्याज देय होगा। किन्तु आवंटन घनराशि एक माह अवधि व्यतीत होने के पश्चात अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड व्याज देय होगा। किन्तु आवंटन घनराशि एक माह अवधि व्यतीत होने के पश्चात अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड व्याज के साथ आवंटन घनराशि जमा न करने पर / 2 या 2 से अधिक किश्तें डिकॉल्ट करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 8.20 गंगानगर योजना के फ्लैट्स का मूल्य अनुमतित है। फ्लैट पूरी होने पर वासिका मूल्यांकन किया जायेगा। फ्लैट के वासिक मूल्यांकन के उपरान्त अन्तिम मूल्य से आवंटी को अवगत कराया जायेगा।
- 8.30 तालिका में उल्लिखित गंगानगर योजना में अल्प आय वर्ग शेषी कुल 12 फ्लैट्स यिनकी

उल्लिखित अनुमतित कीमत अलग-अलग (मूल रूपये 1105600/- प्रथम तत्त्व रूपये 961900/- तथा द्वितीय तत्त्व रूपये 961900/- व तृतीय तत्त्व रूपये 961900/-) है। इन भवनों की प्राप्त आवेदन पत्रों की लाठी एक साथ वी जायेगी जिन्हें वास्तविक वीमत अनुसार आवंटन पत्र जारी किये जायेंगे। भवनों का रखन पर निम्नान्य यथा विवरण देखा रहेगा केवल निम्न आवंटीयों को उपय करना होगा जिसके लिये किसी आवंटी का किसी प्रकार का कोई कलेम स्वीकार नहीं होगा।

- 8.40 विज्ञापित सम्पत्तियों के सापेक्ष प्राप्त पर्याप्त आवेदन पत्रों का शेषीयावर सभी तत्त्वों के फ्लैटों एवं भवनों/भूखण्डों का लाठी द्वारा किया जायेगा। लाठी द्वारा के नामांकन से घोषित परिणाम के अन्तर्गत फ्लैट विस तत्त्व एवं भवन/भूखण्ड जिस विषयता में भी होगा, प्राप्तेक फ्लैट व उसका तत्त्व वर्ग दशाती हुए तथा भवन/भूखण्ड के पौरोंट व मूल्य दशाती हुए आवंटन पत्र जारी किये जायेंगे जो तदनुसार देय होनी तथा आवेदकों को स्वीकार होगा।
- 8.50 देव घनराशि का भुगतान, बैंकसे बैंक/बैंक ड्राप्रट के माध्यम से करने की दशा में घनराशि के प्राप्तिकरण के खाते में अन्तरान की तिप्पि को ही आवार माना जायेगा।

- 9.00 पैनल व्याज-**
- विज्ञापित फ्लैट्स/भवनों/भूखण्डों के सापेक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण को देय घनराशि का भुगतान निर्दिष्ट रूमय रीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो दुर्बल आय वर्ग शेषी के लिये विलम्ब अवधि को लिये 18 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त चारोंवाले दण्ड व्याज देय होगा। किन्तु आवंटन घनराशि एक माह अवधि व्यतीत होने के पश्चात अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड व्याज के साथ आवंटन घनराशि एक माह अवधि व्यतीत होने के पश्चात अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड व्याज के साथ आवंटन घनराशि जमा न करने पर / 2 या 2 से अधिक किश्तें डिकॉल्ट करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- 10.00 कल्पना-**
- 10.10 गंगानगर योजना में आवंटी को पैलेसट के निम्नान्य एवं उसके सम्मुख विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात नियमानुसार पैलेट्स में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेंट की घनराशि, पैलेसट मूल्य का पूर्ण भुगतान तथा जारी सीधर मद में देय घनराशि, राष्ट्र कटिंग चार्ज व देय दस्तावेज मूल्य जाना कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प दस्तावेज आवंटी को पैलेसट में अवगत कराया जायेगा। विलम्ब एवं नियमन

## गंगानगर पॉकेट जे में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग श्रेणी के 4 मजिला पलेटस तथा डाउन राम मबोहर लोहियानगर योजना के दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड

- का समस्त लघु आवेदनकर्ता (आवटी) को बहन करना होगा।
- डाउन राम मबोहर लोहिया नगर योजना में आवटी को दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड का कब्जा सोचे जाने की तिथि तक की किस्तों एवं अन्य देय घनराशि का अप-टू-टैट भुगतान के साथ-साथ भवन, भूदण्ड की अनुमतियों कीमत एवं सोकेतान घार्ज का 12 प्रतिशत प्रीएटर्ट, पानी-सीधर संयोजन शुल्क, दस्तावेज शुल्क आदि जमा करना होगा तथा नियमानुसार देय निर्धारित स्टाम्प डग्यूटी अदा करने पर एवं आवश्यक विलेखों के निष्पादन के बाद कब्जा दिया जायेगा। कब्जा प्राप्त करने के पश्चात आवटी को समस्त करों का भुगतान रखने करना होगा। आवटित स्थल पर विकास कार्य पूर्ण होने पर कब्जा दिया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा कब्जा उपरान्त देहु सूचित किये जाने के उपरान्त आवटी द्वारा कब्जा न दिया जाने पर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति की दौखभाल-एवं रख रखाव हेतु निर्धारित छोकीदारी शुल्क नियमानुसार प्रति माह देय होगा।
- 10.20 आवटी को समय—समय पर लागू होने वाले समस्त भूमिस्थित कर एवं अन्य कार जो रखानीय नियम या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय—समय पर करना होगा।
- 10.30 आवटी विद्युत कानेवाल व यारी का कानेवाल सम्मिलित विभागों से अपने खर्च पर लेगा।
- 10.40 यदि आवटी द्वारा विलेख के निष्पादन करने के पश्चात कब्जा नहीं लेता है तो आवटी को नियमानुसार प्रति माह छोकीदारी शुल्क देना होगा।
- 11.00 निवासन प्रक्रिया—**
- आवटी को गंगा नगर योजना के पलेटस के निर्माण एवं उसके सम्मुचित विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात नियमानुसार पलेट में निहित भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेंट की घनराशि, पलेट मूल्य का पूर्ण भुगतान तथा पानी-सीधर मद में देय घनराशि व देय दस्तावेज शुल्क जमा करते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प डग्यूटी अदा करने पर आवटी के पास में प्राधिकरण द्वारा आवटित पलेट में निहित भूमि का पटटा विलेख तथा स्क्रॉपर मूल्य का विकास विलेख निर्मित किया जायेगा। विलेख एवं निवन्धन का समस्त लघु आवेदनकर्ता (आवटी) को बहन करना होगा।
12. समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में घन की वापसी—
- यदि कोई आवेदक अपनी जमा घनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो नियमानुसार रिफर्न निस्तारित किया जायेगा।
- (अ) लाटी आवटन होने से पूर्व जमा घनराशि की मूल रसीद पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करने पर दिना कटीती, बिना व्याज और प्राधिकरण खाते में एक वर्ष से अधिक जमा रहने के उपरान्त 4 प्रतिशत सापारण व्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- (ब) अवरण पत्र निर्वात होने अवश्य लाटी सम्पन्न होने के बाद जमा पंजीकरण / आवेदन घनराशि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किन्तु जमा लाटी 10 प्रतिशत घनराशि जमा होने से पूर्व, प्रथम जमा पंजीकरण / आवेदन घनराशि का 20 प्रतिशत कटीती करके, बिना व्याज के रोप घनराशि वापस कर दी जायेगी।
- (स) आवटन घनराशि जमा होने के बाद किन्तु कब्जा प्राप्त करने से पूर्व, कुल जमा घनराशि का 15 प्रतिशत कटीती करके, बिना व्याज के रोप घनराशि वापस कर दी जायेगी।
- (द) आवटन के पश्चात यदि पलेट का कब्जा हस्तगत हो याहे है तो कुल जमा घनराशि का 15 प्रतिशत कटीती के साथ-साथ पलेट के रिफर्न प्रार्थना पत्र एवं निरस्तीकरण आदेशों के जो भी तिथि पाहती होनी तक देय किस्तों से दृटी किस्तों में सम्मिलित व्याज की घनराशि की कटीती उपरान्त यदि कोई घनराशि आवेदनकर्ता को दिये जाने हेतु रोप बहती है तो बिना व्याज वापस कर दी जायेगी।
13. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया—
- सम्पत्ति के निरस्तीकरण उपरान्त यदि आवेदक सम्पत्ति का आवटन पुनर्निर्मित (बहाली) निरस्तीकरण दिनाकर से एक माह के अन्दर कराना चाहे तो सम्पत्ति के आवटन की बहाली के समय योजना में लागू बतायान मूल्य पर पलेट बहाल किया जा सकेगा।
- 14.00 नियमा आवेदन अवधार तथा का कुपाना—**
- यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सुनानावै दी गयी है और उसने किसी वारसविक तथ्य को कुपाना है तो पंजीकरण के साथ-साथ पलेट का आवटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले द्वा से गवित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण घनराशि को जब कर लिया जायेगा।



# मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ-25000 (उत्तर प्रदेश)

## 15.00 अन्य सूचनाएँ / शर्ते—

- 15.10 आवेदक को विलेख में उल्लिखित सभी शर्ते रखीकार होगी। एवम् भविष्य में अनुपालन करना होगा तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।
- 15.20 यदि प्राधिकरण की योजना की वर्गीकरण की भवित्व भूमि पर भविष्य में राज्य न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की घास-18 व अन्य घासाओं में प्रतिकर की घनराशि बढ़ायी जाती है तथा स्थान न्यायालय द्वारा प्रतिकर कर्ति उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की घास-28 ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषकों की भूमि दर बढ़ायी जाने की विधिति में योजना के आवंटित पर्लेटस में निहित भूमि का मूल्य बढ़ता है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा और अद्या न करने की विधिति में सामर्थ बकाया एवम् देय घनराशि भू-राजरव के बकाया के रूप में जारीकी से बद्धुता की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।
- 15.30 यदि किसी समय वह पाया जाय कि आवेदक ने गलत सूचनाएँ देकर अवधार तथ्यों को डिपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन कक्षा प्राप्त कर लिया है या अन्य कोई सुधिता प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा जना की गयी आवेदन/आवंटन घनराशि को शर्त-प्रतिशत जारा करते हुए करते हुए सम्पत्ति के मूल्य के विपरीत जना की गयी अन्य जमा घनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी तथा होड घनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।
- 15.40 आवेदन उपरान्त यह में परिवर्तन की दशा में आवेदन पत्र की संख्या सहित एतदविधयक सूचना आवेदक द्वारा संदिग्ध भेजत पिकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में गलत/अपूर्ण अकिता होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की जानकारी आवेदक/आवंटी को होने गाली कहि को लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
- 15.50 तालिका में उल्लिखित सम्पत्ति के पंजीकरण के समेक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया नियत लाटरी झा लिखि को जन्मी जना पंजीकरण/आवेदन घनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी झा में शामिल होने हेतु उपरिधित होये अन्यथा ऐसे आवेदकों जिनके पास, जना घनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उर्वे लाटरी झा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं दी जायेगी।
- 15.60 आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समर विवाद मेरठ विधाय के क्षेत्राधिकार में होगे।
- 15.70 आवेदन प्राप्तिन्या, आवंटन, भन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपायक्षम, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अनितम होगा। उन्हे अपने विवेकानुसार इस पुरस्कार में उल्लिखित शर्तों में अख्या अन्य किसी विधान पर एतद विषयक वर्गीत किसी भी शर्त/नियम को शियिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।
- 15.80 इस योजनाओं में सम्पत्ति की दी गयी कीमत, कंत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है। यदि आवंटित भनन/भूखण्ड का कंत्रफल, नियांरित स्टेप्हैंड कंत्रफल से अलग अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी और कानून भनन/भूखण्ड पर सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य/भूखण्ड के मूल्य का वार्जिं 10 प्रतक से देय होगी। किसी भनन/भूखण्ड के साथ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने पर प्रवलित नियमों के अनुसार मूल्य पृथक से देय होगा।
- 16.00 इस योजना के अन्वर्गत यदि किसी विवाद पर किसी साथ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटी को मान्य होगा।
- 16.10 सर्विस टैक्स आदा करने का दायित्व आवंटी का होगा।

उपायक्षम,

मेरठ विकास प्राधिकरण  
मेरठ।

**जंगानगर पॉकेट जे** में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग श्रेणी के 4 मंजिला पलैटस् **तथा**  
**डा० राम मनोहर लोहियानगर** योजना के दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड

**पंजीकरण दिनांक 18-8-2015 से 18-9-2015 तक, पंजीकरण हेतु विवरण तालिका**

श्रेणी	पलैटस् की संख्या	आचार्यादित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अनुभानित मूल्य (रुपये में)	पंजीकरण घनराशि 10% (रुपये में)	आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिये पंजीकरण घनराशि 5% (रुपये में)	शेष देय धनराशि की किश्तों का विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
जंगा नगर आवासीय योजना पॉकेट जे-4 मंजिला पलैटस्						
अल्प आय वर्ग पलैट पॉकेट जे	12	39.75	11.06	1.11	0.56	10 वर्ष की 20 छमाई समान किश्तों में 14 प्रतिशत ब्याज सहित, विलम्ब अवधि का 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज
डा० राम मनोहर लोहियानगर योजना के भूखण्ड दर रुपये 10,600/- प्रति वर्ग मीटर						
दुर्बल आय वर्ग पॉकेट एम व पॉकेट के	35	36	3.82	0.39	0.20	4 वर्ष की 8 छमाई समान किश्तों में 12 प्रतिशत ब्याज सहित, विलम्ब अवधि का 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज

- विज्ञापित सम्पत्तियों के आवेदकों को आवंटन पत्र जारी करने के दिनांक से 1 माह की अवधि के अन्दर सम्पत्ति की कीमत का 10 प्रतिशत आवंटन घनराशि जमा करनी होगी। उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी प्रतिशेष्यों अनुमानित आधार पर है, जो परिवर्तनीय है। सम्पत्ति की राशि एवं क्षेत्रफल व कीमत में परिवर्तन हो सकता है।
- तालिका में उल्लिखित पाँचीकरण घनराशि का एक द्वापार जो कि आपका यह मेरठ विकास प्राविकरण, मेरठ के पक्ष में देय हो, अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। देय धनराशि का भुगतान बैकसं एक / बैक द्वापार के नाम से करने की दराने में घनराशि या प्राविकरण के खाते में अन्वरण की जिस को ही आधार नामा जारीगया।
- दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवन/भूखण्ड के आवंटन हेतु इक्कुक आवेदकों (जिनके नाम से आवेदन किया जा रहा है) के परिवार की गार्यिक आय तीमा 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) तथा अल्प वर्ग श्रेणी के भवन/भूखण्ड के आवंटन हेतु जिनके नाम से आवेदन किया जा रहा है) के परिवार की गार्यिक आय तीमा 1,00,000/- (एक लाख मात्र) से अधिक तथा अधिकतम 2,00,000/- (दो लाख) तक होनी चाहिये, जो रक्षम अधिकारी (तहसील) द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ सालग्राम जमा होना जिन आवेदकों द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जायेगा उनका पंजीकरण आवेदन पत्र लाईट द्वारा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- यदि आवाटित पलैट में निहित भूमि का क्षेत्रफल, उपरोक्त स्टैप्पर्ड क्षेत्रफल से घटता जायता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी और कानून पलैटस् पर सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य/भूखण्ड के मूल्य का चारों ओर 10 प्रतिशत पृथक से देय होगा। किसी फैटर के साथ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने पर प्रबलित नियमों के अनुसार मूल्य पृथक से देय होगा।
- आवेदक, जिस आवासीय श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वाक्षर सालग्राम प्राविकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र की साथ्यातिप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार दुर्बल आय वर्ग के भवनों भूखण्डों के आवेदकों को निर्माणित आय का प्रमाण—पत्र सालग्राम अधिकारी द्वारा जारी सलग्राम करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत जानकारी योजनाप्रिकरणी से मापा का जा सकती है।



# मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ-25000 (उत्तर प्रदेश)

(अधिकारीक द्वारा यह शपथ पत्र रूपये 10/- के जनरल स्टाप्प पर टीकेत कराकर नोटरी से प्रभागित कराकर अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।)

## शपथ पत्र

समक्षः— उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

यह कि मेरा नाम \_\_\_\_\_ पुरुष/पुत्री/ \_\_\_\_\_ है तथा \_\_\_\_\_ का निवासी हूँ तथा

मेरी आयु सम्बन्धम् \_\_\_\_\_ वर्षे हैं। मैं शपथ पूर्ति किम जपथ लेता हूँ।

1. यह कि मैंने मेरठ विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति आवेटन सम्बन्धी नियमों, दशाओं एवं विशेष सूचनाओं को स्पष्टतः समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वकन देता हूँ।
2. यह कि मैंने अब्यास मेरे पति/पत्नी, अव्यवस्था बख्ती एवं मुझ पर अधिकार सम्बन्धी ने पूर्ण मेरे नेरठ विकास प्राधिकरण की किसी बोजना के अनागत पर्जीकरण/आवेटन हेतु आवेदन पत्र नहीं किया है और यदि पूर्ण मेरी पर्जीकरण/आवेदन करता है तो इस बोजना की अनागत आवेदन स्थीरूप हो जाने के बाद पूर्ण पर्जीकरण/आवेदन की निरस्त होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. यह कि आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवं अव्यवस्था बख्ती के बास) को पास नेरठ विकास प्राधिकरण, नेरठ, आवास एवं विकास परिषद, नेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकासित कालीनियों में कोई अपना अन्य नक्षन/मूख्यान्त नहीं है तथा उसका प्रदेश के अन्य किसी नगर अव्यास शाही बंडी में उपस्थित अधिकरणों द्वारा विकासित कालीनियों में एक से जाधिक नक्षन/मूख्यान्त नहीं है तथा उसका प्रदेश के अन्य किसी नगर अव्यास शाही बंडी में विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, इम्फूनेन्ट ट्रस्ट, किसी स्वानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकासित कालीनियों में एक से अधिक नक्षन/मूख्यान्त नहीं है। यदि इस तथ्य में आवेदन करते रामय अव्यास आवेदित सम्पत्ति के आवेटन उपरान्त असत्यापाती होती है तो पर्जीकरण/आवेदन की निरस्त होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. यह कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने रख्य के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये हैं तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाही करने का अधिकार होगा जो मेरठ विकास प्राधिकरण उचित रामबी।

मेरठी द्वारा  
सम्पादित  
पासपोर्ट स्लैफ  
कोटी

यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से 4 तक किसी गवाह कालान मेरे निर्वाचित द्वारा मैं शपथ कोई तथ्य उपसाधा नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक: \_\_\_\_\_

प्रमाणित स्वाक्षर— \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर शपथकर्ता।

हस्ताक्षर शपथकर्ता।

**गंगानगर पॉकेट जे** में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग श्रेणी के 4 मजिला पलैटस तथा  
**डॉ राम मबोहर लोहियानगर** योजना के दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड

## आवेदन पत्र भरने के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त

1. आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर होने।
  2. आवेदक (1) द्वारा आवेदन पत्र में कोड आइ भरने के लिए भारतीय संस्थाओं के अन्वेषणात्मक अंकों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल इस प्रकार परे हुए कोड नं. को ही अन्वेषण में लिया जायेगा।
  3. इन आवेदन बंजी के एक कम्पन्यटर प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जायेगा। अतः इन बंजी को बड़े जड़त औंडी के बड़े जड़तों में ही भरा जाना चाहिए। तथापि उस पर हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
  4. अपैटू / अपैटू / अपैटू आवेदन बंजी को रद्द कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में लोड भी पत्र व्याहार नहीं किया जायेगा।
  5. आपैटू द्वारा भौतिक में किये जाने वाले पत्र व्याहार में आवेदन पत्र संभवतः कोड भाषण सिद्धान्त लाइसेंस। जब एक आवेदक को संभवतः कोड भौतिक मिलता है तबसे ही क्रम संख्या लिखी जा सकती है।
- 6.00 बड़े जड़तों में हुए किसी भी अन्वेषण की सूचना मंसूब विकास समिकारन के तत्कालीन दी जानी चाहिए।
- 7.00 आवेदन पत्र सभरे के लिए मदायार बींदा नीवे दिया गया है।
- 7.01 गद—2 :** योजना का नाम : कृष्ण योजना का नाम लक्ष्य कोड भरे।
- 7.02 सम्पर्क श्रेणी :** कृष्ण सम्पर्क श्रेणी तथा कोड भरे एवं बोकल भरे।
- 7.30 सम्पर्क विवरण :** कृष्ण सम्पर्क विवरण तथा कोड भरे।
- 7.40 भूगतान योजना :** कृष्ण योजना तथा कोड भरे।
- 7.50 सेल्युशन :** कृष्ण सेल्युशन तथा कोड भरे।
- 7.60 नाम, पता एवं पिनकोड :** ये सभी तुम्हारे हैं।
- 7.05 आधुनिक वर्द में आपैटू कोड में लिखें एकलालायर 32 वर्ड। (किसी एक वर्ड का कोई अंश न लिया जाए)**
- 7.06 लिंग :** इस मद में नीचे दिया गये जड़तों से कोई एक जी आप यह लगू हो कोड तालिका से रेकॉर्ड भ्यानपूर्वक भरे।
- 7.08 कोटा कोड :** जैसा कि डिनरेंड 7.00 में विवरण दिया गया है जिसके अनुसार
- आवेदकों को कालाकाश संक्षिप्ती दी गई है। कृष्ण योजना आवेदक श्रेणी का कोटा कोड नम्बर लिखें। यदि आप एक से उपरिके जारिकिय वर्ग में आहे हों तो कोपल वर्ड कोड लिखें जिसमें आप सहा वाढते हों। जैसा कि नीचे दिया गया है, कोटा के पिछले आवेदन करने हेतु समूचित प्रमाण पत्र संलग्न करें। अस्थाय आपको लोहियन पत्र सामग्री की सेवा जायेगा। सामग्री श्रेणी के अवेदकों को कोटा के स्थान पर 15 लोड भरना चाहिए। यह अस्थाय श्रेणी के अवेदकों को स्थान प्राप्तिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 7.09 व्यवसाय कोड :** यह कोड तालिका से भरे।
- 7.10 भूगतान योजना कोड :** भूगतान योजना कोड में किसरों में भूगतान हेतु कोड भरे।
- 7.11 आय कोड :** आवेदन सेतु कोई आय शीर्षक नहीं।
- 8.00 आवेदक के हस्ताक्षर :** ये सभी तुम्हारे हैं। जिनमें हस्ताक्षर किया जाए आवेदन पत्र में यात्रा परियोग के अविविक और किसी भी प्रकार का अनुरोध रद्दीकर नहीं किया जायेगा।
- 9.00 योजना की अनियन्त्रित तिलिप के बाद आवेदन पत्र में यात्रा परियोग के अविविक और किसी भी प्रकार का अनुरोध रद्दीकर नहीं किया जायेगा।**
- नोट :** सभी प्रबर्त तो भरें, कोड तालिका से घटनापूर्वक रेकॉर्ड भरे। कृष्ण आवेदन पत्र में सम्पूर्णतः कोड रद्द की भी भरे।

### कोड तालिका

योजना कोड	सम्पर्क विवरण	भूगतान कोड
07 गंगानगर योजना	12 फ्लैट	01 किलो में
08 डॉ राम मबोहर लोहियानगर	01 भवन	02 नम्बर
वैवाहिक स्तर	सम्पर्क श्रेणी कोड	सेल्युशन कोड
01 वैवाहिक	05 अव्य आय वर्ग	01 श्री
02 अविविक	07 दुर्बल आय वर्ग	02 श्रीमी
03 विवाह	04 अन्य	03 कुमारी
04 अन्य		04 सपुत्रा
		विवा/विवि कोड
		01 विवा
		02 विवि
व्यवसाय कोड		लिंग कोड
01 वकील	06 शरकारी कर्मचारी	01 पुरुष
02 व्यवसायिक	07 मृणी	02 मही
03 ऑफिटर	08 अव्य सरकारी कर्मचारी	
04 इन्फोरियर	09 विवाही	
05 किशान	10 अन्य	

आपकी  
लोन की तलाश  
यहां खत्म होती है!




- विद्युतीय लोन
- पर्सनल और विक्रमीय लोन
- सोने और चांदीसिंही वाले लोन
- सोनी पाल लोन
- होम लोन
- बॉलिंग सेक्टर लोन

अधिक जानकारी के लिए हमारे प्रतिनिधि से संपर्क करें।



HDFC HOME LOAN  
HOME PURCHASE LOAN  
REFINANCING LOAN  
PERSONAL LOAN



इस ही एक ग्रीष्मकालीन बैंक हम समझे आपकी दुनिया

विवरण पुस्तिका का मूल्य रु. 200/- मात्र

Location Map



Not to Scale  
**GANGA NAGAR**

DR. RAM MANOHAR LOHIA



मेरठ विकास प्राधिकरण

रिपिल लाइन, विकास भवन, मेरठ - 250001 (उत्तर प्रदेश)

वेबसाइट : [www.mdameerut.org.in](http://www.mdameerut.org.in)



## घोषणा DECLARATION

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने मेरठ विकास प्राधिकरण की उपर्युक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है एवं मैं/हम उनका पालन करूँगा/करेंगे।
  2. यदि मैं/हम बिक्री के लिए फ्लैट / भूखण्ड का आवंटन स्वीकार नहीं करता हूँ/करते हैं तब मैं/हम मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के अधीन की गई कटौतियों को स्वीकार करूँगा/करेंगे।
  3. मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया गया फ्लैट/भूखण्ड मुझे/हमें प्रत्येक परिस्थितियों में स्वीकार होगा मुझे/हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति/विवाद नहीं होगा।
  4. मैं सहमत हूँ कि मेरठ विकास प्राधिकरण एवं आवेदक के मध्य किसी प्रकार के विवाद को निपटाने का क्षेत्राधिकार मेरठ न्यायालय का होगा एवं अन्य किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार मेरठ विकास प्राधिकरण एवं आवेदक के इकरारनामे के अनुसार मान्य नहीं होगा।
1. I/We declare that I/We have read the rules of the Meerut Development Authority, Meerut regarding the above scheme and shall abide by them.
  2. If I/We do not accept the allotment of the flat/plot for sale, then I/We shall accept the forfeiture/deductions made by M.D.A. under the rules.
  3. The flat/plot allotted to me by M.D.A. shall be acceptable to me/us under any circumstances on "as is where is basis" and I/We shall have no objection or dispute of any kind.
  4. I/We agree that in case of dispute if any between M.D.A. and the applicant, the Meerut Court will have exclusive jurisdiction and the jurisdiction of all other courts will be debarred by the contract with M.D.A.

Date :

Place :

आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of the applicant

## नमूना हस्ताक्षर SPECIMEN SIGNATURE(S)

Name नाम \_\_\_\_\_

Sole or First Applicant  
(एकल अथवा प्रथम आवेदक)

Signature 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

## For Office Use Only RESERVATION

Applicant successful in draw held on \_\_\_\_\_

One plot reserved

Signature of the Incharge

Allottee Code : 

--	--	--	--	--	--	--	--

ALLOTMENT

Applicant has been allotted plot No. \_\_\_\_\_

Property Code : 

--	--	--	--	--	--	--	--

- नोट : 1. कृपया आवेदन पत्र अंग्रेजी में ही भरें, चूंकि ये फार्म कम्प्यूटर द्वारा प्रोसेस किये जायेंगे। यदि आपने फार्म हिन्दी में भरा हो तो उसका अनुवाद करते समय हुई भूल के लिए मे. वि. प्रा. जिम्मेदार नहीं होगा।
2. कृपया चालान फार्म में ड्राफ्ट नं० तथा बैंक का पूरा नाम अवश्य भरें।
3. आवेदन पत्र के साथ लगाये गये संलग्नकों को चिपकाने का कष्ट करें। इससे आपके संलग्नक फार्म से अलग नहीं होंगे।